फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बायतु (बाड़मेर) मुकाम बायतु

पेम्पसिंह वगैरा बनाम सवाईसिंह वगैरा

किस्म मुकदमा धारा 212 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 नं 149/20 सन 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
07.07.2020	प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री घमण्डाराम सारण द्वारा यह प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थीगण को अन्तरिम आदेश हेतु उनकी एकपक्षीय बहस को न्यायहित में सुना गया। पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्यनन किया गया। प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा लापुन्दड़ा तरली पटवार मण्डल लापुन्दड़ा तहसील गिड़ा में आई हुई है। प्रार्थीगण वकील के कथनानुसार प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि में विप्रार्थीगण हस्तक्षेप एवं दखलअन्दाजी करने व निर्माण करने पर आमदा है और यदि ऐसा हो गया तो वाद बहुलता बढ़ेगी। प्रार्थी की एकपक्षीय बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति एवं प्रथम दृष्टयां मामला प्रार्थी के पक्ष का बनना प्रतीत होता है। अतः विप्रार्थीगण को आगामी पेशी तारीख 10/08/2020 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित आराजी मौजा लापुन्दड़ा तरली पटवार मण्डल लापुन्दड़ा तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 121, 138, 327 रकबा क्रमशः 68.10, 20.17, 70.16 बीघा की भूमि में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि में व्रिपार्थीगण किसी प्रकार के कोई दखल अन्दाजी, हस्तक्षेप एवं बाधा कारित नहीं करे तथा न ही किसी प्रकार को 'कोई कच्चा–पक्का निर्माण करे। वर्तमान मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। इसी माफिक विप्रार्थीगण पाबन्द रहे। विप्रार्थीगण को स्थगन नोटिस जारी होकर मिसल वास्ते जवाब दिनांक 10/08/2020 को पेश हों। [signature] सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु	
10/08/2020	पत्रावली पेश हुई। वकुलाभ फरीकेन उपस्थित। पीठासीन अधिकारी अवकाश में है। अतः पत्रावली इल्तवा होकर दिनांक 15/09/20 को पेश हो। [initials]	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.09.11 18:56:26 IST
Reason: SelfAttested

24/08/2020 प्रार्थी वकील उपस्थित / प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना-पत्र पत्रावली आज पेशी तारीख पर तलब कर विड्रोवल करने बाबत पेश किया गया, जिसे स्वीकार किया जाकर पत्रावली आज पेशी तारीख पर तलब की गई। प्रार्थी वकील द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य राजीनामा हो चुका है इसलिए हम उक्त स्थगन आवेदन को आगे नहीं चलाना चाहते है। तथा Not press करना चाहते है। प्रार्थी वकील द्वारा स्थगन प्रार्थना-पत्र Not press किया गया। अतः प्रार्थी का स्थगन प्रार्थना-पत्र जरिये Not press खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, मूल वाद के संलग्न रहे।

Not press
[illegible]
24/08/20

(हस्ताक्षर)
24.8.2020
सहायक कलक्टर (SDO)
[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.09.11 18:56:26 IST
Reason: SelfAttested